



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052023-246178
CG-DL-E-31052023-246178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]
No. 326]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2023/ज्येष्ठ 10, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2023/JYAISHTHA 10, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2023

सा.का.नि. 400(अ).—केंद्रीय सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण) नियम, 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर और उसके पश्चात प्रवृत्त होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण) नियम, 2004 में, नियम 10 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"11 प्रकाशक द्वारा तम्बाकू उत्पादों के ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट में स्वास्थ्य स्पॉट्स, संदेश और दावात्याग (डिस्क्लेमर):

(1) तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित करते हुए ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट का प्रत्येक प्रकाशक

- (क) कार्यक्रम की शुरुआत में और मध्य में कम से कम तीस सेकंड की अवधि के तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य स्पॉट्स को प्रदर्शित करेगा;
- (ख) कार्यक्रम में तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग के प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे सुपष्ट स्थिर संदेश के रूप में तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करेगा;
- (ग) कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तंबाकू के उपयोग के कुप्रभावों पर न्यूनतम बीस सेकंड की अवधि का एक दृश्य-श्रव्य डिस्कलेमर प्रदर्शित करेगा;

(2) ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट के प्रकाशक को "mohfw.gov.in" या "ntcp.mohfw.gov.in" वेबसाइट पर स्वास्थ्य स्पॉट्स, संदेश और डिस्कलेमर उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) उप नियम (1) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के फॉन्ट में "तंबाकू से कैंसर होता है" या "तंबाकू जानलेवा है" चेतावनी के साथ सुपाठ्य और पठनीय होगी।

(4) तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश, स्वास्थ्य स्पॉट्स और दृश्य-श्रव्य डिस्कलेमर, उसी भाषा में होगी जिसका उपयोग ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट में किया गया है।

(5) ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट में तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग का प्रदर्शन निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा -

- (क) सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड या किसी तरह के तम्बाकू उत्पाद स्थापन की प्रदर्शनी;
- (ख) प्रचार सामग्री में तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग का प्रदर्शन।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए "कार्यक्रम" का अभिप्रेत ऑनलाइन क्यूरेटिड ऑडियो-विजुअल कंटेंट से है।

(6) यदि ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट का प्रकाशक उप-नियम (1) से (5) के उपबंधों का पालन करने में असफल रहता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति, स्वतः प्रेरणा से या किसी शिकायत पर कार्रवाई करेगी, और ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट के प्रकाशक की पहचान करने के पश्चात, ऐसी असफलता को स्पष्ट करने और कंटेंट में समुचित उपांतरण करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुए सूचना जारी करेगी।

स्पष्टीकरण. - इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) पद "ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट" से अभिप्रेत, समाचार और समसामयिक सामग्री से भिन्न कोई दृश्य-श्रव्य सामग्री का कोई भी क्यूरेटिड कैटलॉग, जो ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट के प्रकाशक के स्वामित्व, उसके द्वारा अनुज्ञप्त या प्रसारित किए जाने के लिए अनुबंधित है, और मांग पर उपलब्ध कराया जाता है, इसमें इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर अभिदान के माध्यम से सम्मिलित, किंतु वहीं तक सीमित नहीं, और जिसमें फिल्मों, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम, वृत्तचित्र, टेलीविजन कार्यक्रम, धारावाहिक, श्रृंखला, पांडकास्ट और ऐसी अन्य सामग्री सम्मिलित है;

(ख) पद "ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट का प्रकाशक" से अभिप्रेत है कोई प्रकाशक जो उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट को अवचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को एक कंप्यूटर संसाधन उपलब्ध कराता है जो ऐसे उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, और ऐसी अन्य इकाई जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो कार्यात्मक रूप से ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट के प्रकाशकों के समान है, किंतु इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति या उपयोगकर्ता शामिल नहीं है, जो व्यवस्थित व्यवसाय, वृत्तिक या वाणिज्यिक क्रियाकलाप के दौरान ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट प्रसारित नहीं कर रहा हो।

[फ़ा. सं. पी.16012/08/2017-टीसी]

वी. हेकाली झिमोमी, अपर सचिव

टिप्पण : तारीख मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में संख्याक सा.का.नि. 137, दिनांक 25 फरवरी, 2004, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना सा.का.नि. 345 (अ) तारीख 31 मई 2005, संख्याक सा.का.नि. 619(अ), तारीख 11 अगस्त, 2011, संख्याक सा.का.नि. 786(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2011 और संख्याक सा.का.नि. 708(अ), तारीख 21 सितंबर, 2012 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2023

G.S.R. 400(E).—In exercise of the power conferred by section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on and after the expiration of three months from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely. -

“11. Health spots, message and disclaimer in online curated contents of tobacco products by the publisher. (1) Every publisher of online curated contents displaying tobacco products or their use shall.-

(a) display anti-tobacco health spots, of minimum thirty seconds duration each at the beginning and middle of the programme;

(b) display anti-tobacco health warning as a prominent static message at the bottom of the screen during the period of display of the tobacco products or their use in the programme;

(c) display an audio-visual disclaimer on the ill-effects of tobacco use, of minimum twenty seconds duration each, in the beginning and middle of the programme;

(2) The health spots, message and disclaimer shall be made available to the publisher of the online curated content on the website “mohfw.gov.in” or “ntcp.mohfw.gov.in”

(3) The anti-tobacco health warning message as specified in clause(b) of sub-rule (1) shall be legible and readable, with font in black colour on white background and with the warnings "Tobacco causes cancer" or "Tobacco kills".

(4) The anti-tobacco health warning message, health spot and audio-visual disclaimer, shall be in the same language as used in the online curated content.

(5) The display of tobacco products or their use in online curated content shall not extend to -

(a) display of the brands of cigarettes or other tobacco products or any form of tobacco product placement;

(b) display of tobacco products or their use in promotional materials.

Explanation.- For the purposes of this rule “programme” means online curated audio-visual content.

(6) If the publisher of online curated content fails to comply with the provisions of sub-rules (1) to (5), an inter-ministerial committee consisting of representatives from the Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Information and Broadcasting and Ministry of Electronics and Information Technology, shall take action suo motu or on a complaint, and after identifying the publisher of online curated content, issue notice giving reasonable opportunity to explain such failure and make appropriate modification in the content.

Explanation.- For the purpose of this rule,-

a. the expression “online curated content” means, any curated catalogue of audio-visual content, other than news and current affairs content, which is owned by, licensed to, or contracted to be transmitted by a publisher of online curated content, and made available on demand, including but not limited through subscription, over the internet or computer networks, and includes films, audio visual programmes, documentaries, television programmes, serials, series, podcasts and other such content;

b. the expression “publisher of online curated content” means, a publisher who, performing a significant role in determining the online curated content being made available, makes available to users a computer resource

that enables such users to access online curated content over the internet or computer networks, and such other entity called by whatever name, which is functionally similar to publishers of online curated content but does not include any individual or user who is not transmitting online curated content in the course of systematic business, professional or commercial activity.

[F. No. P.16012/08/2017-TC]

V. HEKALI ZHIMOMI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 137, dated the 25th February, 2004, and were subsequently amended vide number G.S.R 345(E), dated the 31st May 2005, number G.S.R. 619(E), dated the 11th August, 2011, number G.S.R. 786(E), dated the 27th October 2011 and number G.S.R. 708(E), dated the 21st September, 2012.